जीवन परिचय
स्व. पं. श्री श्यामाचरण शुक्ल

छत्तीसगढ के लाडले व यशस्वी माटी पुत्र पं. श्यामाचरण शुक्ल का संपूर्ण जीवन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए समर्पित रहा है । छत्तीसगढ में कृषि और सिंचाई के विकास में उनकी भूमिका अविस्मरणीय है । स्वास्थय, चिकित्सा, पर्यावरण, शिक्षा, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को संरक्षण उनकी मूल प्रवृति में शुमार थी । उनसे संबंधित विवरण इस प्रकार है ।

जन्म – 27 जनवरी 1925 ई. रायपुर, निर्वाण 14–जनवरी 2007, रायपुर
पिता – स्व.पं. रविशंकर शुक्ल, स्वाधीनता संग्राम के अजेय योद्धा।
शिक्षा – बी.एस.सी. टेक (हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस) एल.एल.बी. (शासकीय ला कालेज नागपुर)
छत्तीसगढ के प्रथम समाचार पत्र महाकौशल दैनिक के संस्थापक संपादक थे।
रायपुर फ्लाईंग एंड ग्लाइडिंग क्लब के संस्थापक थे।
स्वाधीनता संग्राम के दौरान विद्यार्थी कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्य । पढ़ाई छोड़कर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय । इस दौरान अंग्रेजों द्वारा देखते ही गोली मार देने के आदेश होने पर भूमिगत होकर आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया।
1948 से 1957 तक रायपुर जिला कांग्रेस के सहमंत्री । 1957 से दशकों तक अ.भा.कांग्रेस के सदस्य । 1959 में जिला के उपाध्यक्ष ।
1963 में पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र के मंत्रिमंडल में शामिल न होकर व्यापक सांगठनिक कार्य किया।
1963 में म.प्र. विधानसभा के मुख्य सचेतक रहे
1967 में म.प्र. के सिंचाई मंत्री रहे
तीन बार अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने

1. 26 मार्च 1969 से 23 जनवरी 1972 तक
2. 23 दिसंबर 1975 से 30 अप्रेल 1977 तक
3. 9 दिसंबर 1989 से लगभग 3 माह तक

1969 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उस जमाने के मुख्यमंत्रियों में सबसे कम उम्र के थे ।
विधायक के तौर पर निम्न क्षत्रो का प्रतिनिधित्व किया
1957 से 1962 बिन्द्रानवागढ राजिम
1962 से 1967 राजिम
1967 से 1972 राजिम
1972 से 1977 राजिम
1990 से 1992 राजिम (विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य)
1992 से 1998 राजिम
1998 में राजिम से पुन:निर्वाचन
1999 में इस्तीफा देकर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से संसद के लिए निर्वाचित हुए ।

संदेश

प्रिय विद्यार्थियों

महाविद्यालय की विवरणिका महाविद्यालय का दर्पण है। जिससे नव प्रवेशित छात्रों को नियमों व महाविद्यालय की जानकारी उपलब्ध होती है। महाविद्यालय का अपना शासकीय भवन है जहाँ स्वच्छ पेय जल, शौचालय, विद्युत की समुचित व्यवस्था है। महाविद्यालय में ग्रंथालय है जिसमें पाठ्यक्रम के अनुरुप पुस्तकें हैं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भी पुस्तकों का संकलन किया गया है। आप महाविद्यालय में उपलब्ध पुस्तकों का लाभ उठा सकते है। यह महाविद्यालय ग्रामीण अंचल में स्थापित होने के बाद भी महाविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापकों की उपस्थिति से छात्रों को उचित मार्गदर्शन मिलता है ।

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी.ए. तथा बी.एससी. की कक्षाएँ संचालित होती हैं। बी.कॉम. की कक्षाएँ प्रांरभ करने का प्रयास जारी है। महाविद्यालय में एम.एससी. गणित एवं एम.ए. राजनीति विज्ञान तथा हिन्दी की कक्षाएँ संचालित होती है। छात्र स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपलब्ध पुस्तकों का लाभ उठा सकते हैं

(डॉ. श्रीमती प्रीति तिवारी)
प्राचार्य
पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसींवा, रायपुर (छ.ग.)

शासकीय पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
(शंकर नगर) धरसींवा रायपुर (छ.ग.)

❖ शिक्षण पाठ्यक्रम एवं विषय संयोजन ❖

1) **महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय –**

परिचय – शासकीय पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय (शंकरनगर) धरसींवा रायपुर की स्थापना 14 अगस्त 1989 को हुई थी। महाविद्यालय ने अपने स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए है। वर्तमान में महाविद्यालय को 2014 से स्वयं का भवन प्राप्त हो चुका है। महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय में अध्यापन की सुविधा है। महाविद्यालय में एम.ए. राजनीति विज्ञान, हिन्दी तथा एम.एससी. गणित, स्नातकोत्तर की कक्षाएँ संचालित होती है। इसका संचालन तथा वित्तीय परिक्षेत्र छत्तीसगढ शासन के अधीन है।

महाविद्यालय का नवीन सत्र 2017–18 आगामी 1 जुलाई को प्रातः 10:30 से आरंभ होगा।

1) **महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले संकाय, विषय तथा विश्वविद्यालय से संबद्धता–**

बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संबंधी निर्देश–

अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम हिन्दी एवं अंग्रेजी

पर्यावरण अध्ययन (बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम) प्रोजेक्ट कार्य

विषय समूह : कला संकाय (बी.ए.)

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निम्न समूहों में से कोई 03 (तीन)

(1) समाज शास्त्र (5) राजनीति विज्ञान

(2) हिन्दी साहित्य (6) अंग्रेजी साहित्य

(3) अर्थ शास्त्र

(4) इतिहास /

वैकल्पिक विषय चयन के संबंध में महाविद्यालयीन नियम अंततः मान्य होंगे।

विज्ञान संकाय (बी.एस–सी.)

रविशंकर विश्विद्यालय विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय –

अनिवार्य विषय – (1) हिन्दी भाषा

(2) अंग्रेजी भाषा

(3) पर्यावरण अध्ययन (बी.एस–सी. प्रथम, बी.ए. प्रथम) प्रोजेक्ट कार्य

वैकल्पिक विषय– किसी भी एक समूह का चयन करना होगा।

(1) गणित, भौतिक शास्त्रं, रसायन शास्त्र

(2) प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र

(3) स्नातकोत्तर स्तर पर पठाये जाने वाले संकाय एवं विषय

एम.ए. पूर्व एवं अंतिम (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ समेस्टर) राजनीति शास्त्र

एम.ए. पूर्व एवं अंतिम (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ समेस्टर) हिन्दी

एम.एससी. पूर्व (प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर) – गणित

एम.एससी. अंतिम (तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर) – गणित

विभिन्न शुल्कों का विवरण –

शासकीय शुल्क (Government fees) –

शिक्षण शुल्क	–	115/–	प्रति छात्र
स्टेशनरी शुल्क	–	02/–	प्रति छात्र
प्रवेश शुल्क	–	03/–	प्रति छात्र
प्रायोगिक शुल्क	–	20/–	प्रति छात्र (भौतिक, रसायन)
	–	30/–	प्रति छात्र (जीवविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान)

अशासकीय शुल्क (Nongovernment fees) –

<u>A.F. अमलगमेटेड फंड राशि –</u>

छात्रसंघ शुल्क	–	2.50/–	प्रति छात्र
स्नेह सम्मेलन	–	05/–	प्रति छात्र
वाचनालय फीस	–	20/–	प्रति छात्र
सम्मिलित निधि	–	20/–	प्रति छात्र
क्रीड़ा शुल्क	–	12/–	प्रति छात्र
महाविद्यालय विकास शुल्क	–	25/–	प्रति छात्र

<u>P.D. पर्सनल डिपाजिट राशि –</u>

अवधान राशि	–	60/–	प्रति छात्र
नामांकन शुल्क	–	100/–	प्रति छात्र
नामांकन पत्र	–	50/–	प्रति छात्र
परिचय पत्र	–	20/–	प्रति छात्र
चिकित्सा शुल्क	–	03/–	प्रति छात्र
जनभागीदारी शुल्क	–	300/–	प्रति छात्र
साइकिल स्टेण्ड (पार्किंग)	–	20/–	प्रति छात्र
पत्रिका शुल्क	–	50/–	प्रति छात्र
छात्र सहायता शुल्क	–	05/–	प्रति छात्र
विश्वविद्यालय छात्रसंघ	–	0.50/–	प्रति छात्र
शारीरिक कल्याण शुल्क	–	150/–	प्रति छात्र
विज्ञान शुल्क(विज्ञान छात्रों के लिए)	–	100/–	प्रति छात्र (गणित)
		150/–	प्रति छात्र (बॉयो)
सामान्य ज्ञान परीक्षा	–	50/–	प्रति छात्र
इकाई परीक्षा	–	100/–	प्रति छात्र

<u>स्नातक स्तर पर –</u>

जनभागी दारी शुल्क	–	400/–	प्रति छात्र
स्नातकोत्तर स्तर पर	–		
जनभागीदारी शुल्क	–	500/–	प्रति छात्र

प्रवेश हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत

1.0 **प्रयुक्ति** – ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 06–07 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होने तक समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

2.0 **प्रवेश की तिथि** – (शासन द्वारा घोषित)

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन – पत्र जमा करना** –

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण–पत्र सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिनों पूर्व लगाई जाएगी। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें। प्रवेश की अंतिम तिथि तक सूची प्राप्त हो जाने पर तथा महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर आवेदन पर नियमानुसार प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना** –

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। मुख्य परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिनों तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों तक जो भी पहले हो, मान्य होगी। कण्डिका 5.1(क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश दिया जाये, किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे एवं आवेदक को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।

2.3 **स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए** –

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कण्डिका 2–2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओं में 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे। नियमित प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने के तिथि से 10 दिन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित करने की तिथि से 15 दिनों तक जो भी पहले हो, मान्य होगी।

3.0 **प्रत्येक कक्षा के लिए प्रवेश संख्या एवं अध्यापन के विषयों का निर्धारण** –

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध/उपयोगी सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्र संख्या का निर्धारण करेंगे। प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश संख्या निर्धारित स्थानों से अधिक न हो।

3.2 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4.0 **प्रवेश सूची :–**

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित, सूचना पंटल पर लगाई जाएगी, जिसमें प्राचार्य प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना भी दी जाएगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण–पत्रों प्रतियों को मूल प्रमाण–पत्रों से मिलाकर प्रमाणित किये जाने एवं जहां आवश्यक हो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।

4.4 घोषित प्रवेश की सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जाएगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.0 **प्रवेश की पात्रता :–**

5.1 (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी (छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी) निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी/राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में हो उनके पुत्र/पुत्रियों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों की बोर्ड व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल एवं विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता है।

5.2 **स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश –**

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय नहीं दिया जाएगा। 10+2 परीक्षा का तात्पर्य छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यार्थियों की इंटरमीडिएट बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.3 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा –**

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक या न्यूतम 45% (स्वशासी/आदर्श महाविद्यालों में पूर्णांक का न्यूनतम 50%) एवं सैद्धांतिक विषयों में न्यूनतम (स्वशासी/आदर्श महाविद्यालयों में पूर्णांक का न्यूनतम 45%) अंक प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्थान रिक्त रह जाने की स्थिति में महाविद्यालय के प्राचार्य कण्डिका 5.4 (क) न्यूनतम अंक सीमा में रिक्त स्थानों की पूर्ति तक आवश्यक एवं स्वशासी/आदर्श महाविद्यालयों के प्राचार्य कण्डिका 5.4 (क) की न्यूनतम अंक सीमा के अधिकतम 5% तक शिथिलता प्रदान कर प्रवेश देने के लिए अधिकृत रहेंगे।

(ग) प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक सीमा केवल प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ही है। अगली कक्षाओं में प्रवेश हेतु यह न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों को पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम सीमा में या प्राचार्य द्वारा प्रदान की गई शिथिलता के पश्चात् निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में 5% की छूट प्रदान की जायेगी।

6.0 समकक्ष परीक्षा –

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के स्कूल/इण्टरमीमिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षायें मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोई ऐसे पाठयक्रम लेकर 10+2 से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें संकाय का स्पष्ट उल्लेख नहीं है ये उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय से पात्रता – पत्र प्राप्त कर संबंधित संकाय में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे।

6.2 सामान्य: भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसियेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षायें छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय के समकक्ष मान्य है। उस्मानिया एवं कातिया (कातीय) विश्वविद्यालय को बी.ए./बी.कॉम (डॉयरेक्ट) वन सिटिंग परीक्षायें मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधिक मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते है।

7.0 बाह्य आवेदकों का प्रवेश –

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस–सी./बी.एच.एच–सी में एकीकृत पाठयक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/ग्रुपों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षा करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। विश्वविद्यालय की पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जावे।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों में स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय ग्रुप की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों का स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कक्षाओं में प्रयोग पूर्ण करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8.0 अस्थायी प्रवेश की पात्रता –

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 उपरोक्त कंडिका 07 के खंड (1) एवं (2) आवेदकों को स्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.3 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं का अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जाएगा। अस्थायी प्रवेश निरस्त किये जाने या नियमित किये जाने की सूचना प्राचार्य द्वारा प्रसारित की जावेगी।

9.0 <u>प्रवेश हेतु अर्हता –</u>

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित न होने, अध्ययन छोड़ देने/अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र में पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित अर्हता नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने गम्भीर आरोप है, चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत होंगे।

9.3 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र–छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है।

9.4 (क) स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणनाा एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विशेष सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश में अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंट शीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिलाओं के आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय अशाकीय सेवारत कर्मचारियों को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठयक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10.0 <u>प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण –</u>

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जावेगा।

10.2 स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय हैं, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

10.3 सामान्य एवं आरक्षित वर्गो के लिए अलग–अलग गुणानुक्रम सूची बनाई जायेगी।

11.0 प्रवेश हेतु प्राथमिकता –

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी छात्र, तत्पश्चात स्थान रिक्त होने पर स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

11.2 स्नातक स्तर पर अगली कक्षाओं में उपर्युक्त प्राथमिकता में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित छात्रों के बाद एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्रों को प्रवेश की प्राथमिकता दी जाएगी अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.3 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावें। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

12.0 आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा –

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 12 तथा 32 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांक का 10 प्रतिशत अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी (ओपन–काम्पीटिशन) में नियमानुसार प्रावीण्य सूची में रखा जाता है, तो उसकी आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परंतु यदि ऐसी विद्यार्थी किसी संवर्ग, जैसे स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट इस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जाएगी और शेष संवर्ग की सीटें भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा एक से कम प्रतिशत आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 प्रवेश की अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्रायें उपलब्ध न हो तो आरक्षित स्थान सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किय जावे।

13.0 <u>अधिभार –</u>

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जाएगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी पररीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रामण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक अधिभार होने पर मात्र एक सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 <u>एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउटस –</u>

स्काउटस शब्द को स्काउट्स/गाइड्स रेन्जर्स/रोबर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट	–	02%
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी.बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	–	03%

(ग) एन.सी.सी. सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस – 04%

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को – 04%

(ङ) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्जिजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को – 05%

(च) राज्यपाल स्काउटस – 05%

(छ) राष्ट्रपति स्काउटस – 10%

(ज) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट – 10%

(झ) डयूक ऑफ एडिन वर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेटे – 15%

(ञ) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले विद्यार्थी को – 15%

13.2 ऑनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को – 10%

13.3 खेलकूद/साहित्य/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिता –

(1) लोकशिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला (सम्भाग स्तर) अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर अंचल, (सम्भाग/क्षेत्रस्तर) प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के सदस्य को – 02%

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 04%

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3(1) में उल्लेखित विभाग संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग (राज्य स्तर) अथवा केन्द्रीय विद्यालय का संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू. द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में)–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06%

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 07%

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 05%

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में –

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले – 15%

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाले टीम के सदस्यों को – 12%

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 10%

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत (विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को – 10%

13.5 छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(क) छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को – 10%

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ के – 12%

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 10%

13.7 विशेष प्रोत्साहन –

(क) एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए, जिनकी उन्हें पात्रता है।

बशर्ते कि –

(1) इस सुविधा के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी, जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परंतु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण अधिकार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय पूर्व सत्र में प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14.0 संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन –

(क) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम में अर्हकार परीक्ष के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों का उनके प्राप्तांकों के 5% घटाकर निर्धारित किया जाएगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में निर्देशित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जाएगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी, जिनके प्राप्तांक सम्बंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

(ग) संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात संकाय/विषय/ग्रुप परिर्वतन की अनुमति आयुक्तके अनुमोदन के उपरांत ही दी जा सकेगी।

टीप :– उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर प्रकाशित प्रवेश नियम लागू होंगे।

महाविद्यालय में प्रवेश नियम एवं उप–नियम

(1) स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु दिये गये मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत् पात्रता रखने वाले छात्र–छात्रायें महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र/छात्रायें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ के बारह के विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण होकर आते हैं, उसे प्रवेश देने के पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर एवं सेन्ट्रल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवीं) परीक्षा में उत्तीर्ण को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री–डिग्री युनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही दिया जावेगा।

पात्रता हेतु उन्हें समस्त परीक्षाओं के अंक सूचियों की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो प्रतियाँ एवं उपाधि प्रमाण पत्र,

प्रवजन प्रमाण–पत्र की भी फोटो स्टेट प्रतियाँ सहित प्रमाण पत्रों के साथ विश्वविद्यालय भेजना होगा। जिसमें सेकेण्डरी तथा हायर सेकेण्डरी के अंक सूचियों की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उक्त आवश्यक कागजात प्राप्त होने पर ही पात्रता हेतु निर्धारित फीस 40/– (चालीस रूपये मात्र) जमा करना आवश्यक होगा तथा विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने पर 200/– (दो सौ रूपये मात्र) विलम्ब शुल्क लगेगा। जो नियमित छात्रों के लिए प्रवेश की तिथि समाप्त होते ही तथा अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र पर जैसे ही विलम्ब शुल्क लागू होता है, उसी तिथि से विलम्ब शुल्क लागू हो जायेगा। यदि छत्तीसगढ़ के बाहर के विश्वविद्यालय के पार्ट में उत्तीर्ण होकर इस विश्वविद्यालय की पार्ट परीक्षा में सम्मिलित होना हो तो आवेदक को उक्त परीक्षा के सत्र का पाठयक्रम भी संलग्न करना होगा ताकि परीक्षण कर प्रकरण निपटाने में आसानी हो सके।

(2) सभी विद्यार्थी जो इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के इच्छुक है, चाहे वे उत्तीर्ण होकर आगामी कक्षा में प्रवेश पाना चाहते हो, इस विवरण पत्रिका के साथ संलग्न आवेदन–पत्र को सम्पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में निश्चित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। एक विषय में पूरक छात्रों को योग्यता के आधार पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि पिछले वर्षों में कभी भी आंदोलन, हिंसा अथवा परीक्षा संबंधी अनुचित व्यवहार के दोषी होने पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(3) प्रवेश पाने के लिए आवेदन पत्र स्पष्ट और सुबोध अक्षरों में तथा विद्यार्थी के द्वारा स्वयं ही भरा जाना चाहिए और समस्त आवश्यक सूचनायं दी जानी चाहिए तथा प्रमाण पत्रादि एवं फोटो (यदि परिचय पत्र न हो तो) संलग्न कर सम्पूर्ण आवेदन–पत्र महाविद्यालय के कार्यालय में परीक्षाफल घोषित होने के बाद 15 दिनों के अंदर या प्राचार्य द्वारा घोषित तिथि तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र विचारार्थ तभी स्वीकार किये जावेंगे, जब स्थान रिक्त होगा। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय सूचना पटल पर सूचित की जावेगी।

(4) शुल्क में संशोधन/समिति के निर्णयानुसार किया जा सकता है।
जिस दिन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, उसी दिन सभी शुल्क जमा करना होगा।

छात्र सुरक्षा बीमा योजना

छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्र. एफ–24–7/20/2005 रायपुर, दिनांक 01.09.2005 के अनुसार महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना का प्रावधान है। इस संबंध में कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

प्रवेश के समय संलग्न करने हेतु प्रपत्र

1. इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पूर्व जिस विद्यालय/महाविद्यालय में विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, उस शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदत्त मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (Original Transfer Certificate) प्रवेश के समय आवश्यक होगा, किन्तु इस महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।
2. पिछली परीक्षा के अंक सूची की प्रमाणित छाया प्रति।
3. यदि विद्यार्थी ने स्वाध्यायी तौर पर परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त सदाचरण का प्रमाण पत्र (Good Conduct Certificate)
4. बिना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि प्रवेश दिया गया, तो 15 सितम्बर तक प्रवजन प्रमाण पत्र न देने पर प्रवेश निरस्त समझा जाएगा।

5. प्रवेशाधिकारी (Professor In-charge Admission) आचार्य की संस्तुति।

6. एक फोटो (यदि परिचय पत्र न हो तो दो फोटो)

(क) प्रवेशोपरांत आवश्यक निर्देश –

1. ऐसे विद्यार्थी जो किसी संस्थान अथवा कार्यालय में सेवा कर रहे हैंवे अपने नियोजक अधिकारी की अनुमति भी प्रस्तुत करेंगेकि इस महाविद्यालय में अध्ययनरत अपने कर्मचारियों के प्रति उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वे विद्यार्थी को महाविद्यालय के निश्चित समय पर अवकाश देने के लिए सहमत हैं।

2. विषय परिवर्तन के लिए प्रवेश दिनांक से 14 दिन के पश्चात कोई भी विद्यार्थी अपने अध्ययन के विषय में परिवर्तन नहीं करा सकेगा। इस अवधि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन विषय परिवर्तन के लिये मान्य नहीं किया जायेगा। प्रवेश के बाद सेक्शन आबंटन में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

3. किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश की सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जावेगी। प्रवेश इच्छुक विद्यार्थी को स्वयं इस विषय की जानकारी सूचना पटल (कार्यालय) से प्राप्त करनी होगी।

4. प्रत्येक विद्यार्थी को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में अपना पंजीयन कराना आवश्यक है और जो विद्यार्थी नहीं कर सकेंगे। चाहे कारण कुछ भी क्यों न हो इनको विश्वविद्यालयीन परीक्षा/स्वशासी महाविद्यालय योजना के अंतर्गत ली जाने वाली परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगा और उनके द्वारा प्रदत्त महाविद्यालयीन कोई भी शुल्क वापस नहीं दिया जायेगा। महाविद्यालय इस प्रकार किसी असावधानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

5. आवश्यक कागज पत्र और प्रमाण पत्रों के अभाव में कोई भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय या उसके पूर्व नकद या मनीआर्डर/चैक/ड्राफ्ट द्वारा कोई भी धनराशि नहीं भेजना चाहिए।

6. प्रवेशार्थी से महाविद्यालयीन शुल्क उसी दशा में स्वीकार किया जा सकेगा, जब उसे प्राचार्य द्वारा प्रवेश संबंधी आदेश दिया जाएगा। शुल्क का भुगतान केवल नकद मान्य होगा।

7. जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए अथवा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का होगा।

(ख) विश्वविद्यालयीन अधिनियम में प्रावधान –

छत्तीसगढ़ प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र–छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है।

(1) निलम्बन

(2) निष्कासन

(3) विश्वविद्यालय परीक्षा में अथवा स्वशासी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जाना।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सुविधा :–

अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को अध्यापन शुल्क नहीं देना होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रमाण–पत्रों सहित किसी राजपत्रित अथवा तहसील के सबसे उच्च किसी राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हो कि प्रार्थी अनूसूचित जाति अथवा उस जनजाति शाखा का है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

(घ) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवकों को सुविधा :–

(1) बी.एस–सी/बी.ए. तक समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवरात अथवा सेवानिवृत्त छत्तीसगढ़ शासकीय सेवकों तथा वर्गों के मृत छत्तीसगढ़ शासकीय सेवकों को बच्चों का शिक्षण शुल्क माफ होगा।

(2) यह सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने पिता के कार्यालय के विभागीय प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रवेश फीस देते समय प्रस्तुत करना होगा।

(3) विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने पर इस सुविधा से वंचित हो जायेगा। आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अगली कक्षा में यह सुविधा उसे फिर मिल जायेगा।

(4) सुविधा अच्छे चाल चलन तथा संतोषजनक प्रगति पर निर्भर है। यदि विद्यार्थी हड़ताल में भाग लेता तो बगैर सूचना दिये ही सुविधां वापस ले जी जायेगी।

(5) छात्राओं को एम.एस–सी. तक अध्यापन शुल्क एवं विज्ञान शुल्क देय नहीं होगा।

(च) <u>छात्रवृत्ति योजना –</u>

छात्रवृत्ति एवं अन्य विवरण संचालनालय से प्राप्त विज्ञापन के अनुसार देय है

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु

सरल क्रमांक	कक्षा	गैर छात्रावासी प्रतिमाह	छात्रावासी प्रतिमाह
01.	बी.ए., बी.कॉम, बी.एस–सी., बी.एच.एस.सी. (घ) (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	300	355
02.	11वीं, 12वीं (10+2), बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.–सी. बी.एच.एस.सी. (प्रथम वर्ष)	300	355
	पिछड़ा वर्ग		
01.	प्रथम वर्ष छात्र – 55/–, छात्रा 70/–		
02.	प्रथम वर्ष 35/– आधा		
03.	द्वितीय एवं तृतीय वर्ष छात्र – 70/–, छात्रा 85/–		
04.	द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 42.50/– आधा		

महाविद्यालय की वार्षिक समय सारिणी

समय सारिणी पर प्राचार्य द्वारा घोषित किये जाने के बाद सूचना पटल पर लगा दी जाती है। व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी नहीं दी जाती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (National social Service)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) भी उपलब्ध है जिनके अंतर्गत वर्तमान में 100 छात्रों का चयन किया जाता है। प्रथम वर्ष स्नातक छात्रों के एन.सी.सी. में या एन.एस.एस. में दर्ज होना अनिवार्य है। उत्सुक छात्र–छात्राएँ निर्धारित आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं। एन.एस.एस. के अंतर्गत बी.एवं सी. प्रमाण पत्र परीक्षाएँ महाविद्यालय में आयोजित की जाती है।

क्रीड़ा विभाग

महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी एवं पुरस्कार प्राप्त। कलेकटर महोदय द्वारा जिला खनिज–व्यास से 50000 रू. की खेल सामग्री प्राप्त की गई। महाविद्यालय में मिनी स्टेडिंयम को निर्माण स्वीकृत किया गया।

ग्रंथालय में पुस्तकों की जानकारी

महाविद्यालय में ग्रंथालय में लगभग पुस्तकों की संख्या 13728 है। शासकीय निधी में 8942, बुक बैंक अनुसूचित जाति (SC) 1546, बुक बैंक अनुसूसचित जन जाति (ST) 357, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) – 344 तथ्सस यू.जी.सी. ग्रंथ में 3950 पुस्तकें है। प्रतियोगी परीक्षओं हेतु जिलाधीश महोदय द्वारा प्रदत्त राशि से 274 पुस्तकें क्रय की गई हैं। विधायक निधि से 227 पुस्तकें क्रय की गई।

महाविद्यालय में निःशुल्क प्रशिक्षण कोर्स

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को निःशुल्क कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स, इंग्लिश स्पोकन कोर्स एवं सामान्य ज्ञान अध्ययन की सुविधा दी जा रही है एवं इनमें सफल हाने वाले छात्र/छात्राओं को सर्टिफिकेट वितरित किया जाता है।

महाविद्यालय में प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार

महाविद्यालय में प्रतिभावन छात्र/छात्राओं को सत्र 2014–15 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर चम्पादेवी इंदिरा देवी जैन चेरीटेबिल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री कमलेश जैन द्वारा वार्षिक स्नेह सम्मेलन में नगद पुरूस्कार 1000/– रू. प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार क्रीड़ा के क्षेत्र में आये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र/छात्राओं को भी 1000/– रू. प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

जन धन योजना अंतर्गत महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र/छात्राओं से बैंको में खाते खुलवाये जायेंगे।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र/छात्रओं से 12/– प्रतिवर्ष बीमा राशि जमा कराई जायेगी।

महाविद्यालय में अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के अध्यापन हेतु शैक्षिणिक भ्रमण, सेमिनार एवं व्याख्यान आयोजित किये जाते है। महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में विषय विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, वर्कशाप एवं सेमिनार आयोजित किये जाते है।

परिचय पत्र

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र रखना आवश्यक है सभी सम्मेलन अथवा महाविद्यालय कार्यक्रम और कार्य व्यापार के समय पर परिचय पत्र विद्यार्थी के पास होना चाहिए। इस पत्र के पीछे छपी सूचनाओं का पालन करना

आवश्यक है। जो विद्यार्थी परिचय पत्र विहीन पाये जायेंगे उनको महाविद्यालय का विद्यार्थी नहीं माना जावेगा। और उनके विरूद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जायेगी।

कक्षा में उपस्थिति

(1) किसी भी परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 75 प्रतिशत अपनी कक्षाओं में उपस्थिति प्राप्त करनी होगी और यह उपस्थिति एन.सी.सी. तथा एन.एस.एस. में भी आवश्यक है। कार्य परिषद ने विद्या परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 10.11.70 में की गई निम्नलिखित संस्तुतियाँ स्वीकृत की (अ) अध्यादेश की कंडिका 13 के अंतिम पैरा के बदले निम्नानुसार पैरा रखा जाये :–

PROVIDED, ALSO STUDENTS OF COLLEGE REPRESENTING IN COLLEGE OR UNIVERSITY IN THE RECOGNISED TOURNAMENTS AND EXTRACURICULAR ACTIVITIES SHOULD BE TREATED AS PRESENT IN CLASSES DURING PERIOD OF JOURNEY AND PARTICIPATION IN THE TOUNAMENT & EXTRACURICLAR ACTIVITIES AND SHOULD BE GIVEN ATTENDANCE OF ALL CLASSES, THEORY AND PRACTICAL, HELD DURING THIS PERIOD.

उपरोक्त आदेश के अंतर्गत एतद् उपस्थिति प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि विद्यार्थी उसी माह के अंत तक संबंधित प्राध्यापक से संस्तुति प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा विद्यार्थी उपस्थिति प्राप्ति के हकदार नहीं होंगे।

(2) जो विद्यार्थी किसी कारण से छुट्टी लेना चाहते हों अपना आवेदन समय से पूर्व प्रस्तुत करें जो उनके अभिभावक के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। जो विद्यार्थी बिना आज्ञा के अनुपस्थित रहेंगे उनको दंड होगा।

छत्तीसढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए
आचरण–संहिता

सामान्य नियम –

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठयेत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली–गलौच, मारपीट या आग्रेय का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है।
6. महाविद्यालय की सीमा में किसी भी प्रकार के नशीली एवं मादक पदार्थ का सेवन सर्वदा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त माना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

8. वह अपनी माँगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

9. **महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।**

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावंधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों को पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय में लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह शिक्षकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी नैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक दिया जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा

प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

5. स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेते समय विद्यार्थी महाविद्यालय से जा रहा होगा तब अमानती राशि उसे वापस कर दी जायेगी इस निधि वापसी के समय विद्यार्थी को पहले रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

6. उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशकों के अध्याधीन इस विवरण पत्रिका में किसी भी नियम उपनियम अथवा किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है और वे इस दिशा में विज्ञप्ति तथा प्रसारित सभी आदेश और निर्देश विद्यार्थियों पर समान रूप से अनिवार्यतः लागू होंगे।

7. प्राचार्य को यह अधिकार है कि वह बिना कारण बताए किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश के लिए मना कर दे और इस विषय में कोई भी कानूनी कार्यवाही करने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा।

रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग जैसी घृणित एवं अमानवीय प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध है। रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले विद्यार्थियां के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अंतर्गत अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी व जुर्माना (या दोनों) महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक लगाई जायेगी।

शिकायत पेटी की व्यवस्था

महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के समक्ष शिकायत पेटी रखी गई है। इसमें निम्नलिखित विषय में संबंधित, वास्तविक शिकायत कोई भी विद्यार्थी अपने नाम से अथवा बिना नाम से डाल सकता है।

1. महाविद्यालय में रैगिंग गतिविधि अशांति एवं अनुशासनहीनता, पीने की पानी एवं सफाई विषयक।
2. कक्षाओं में फर्नीचर, विद्युत उपकरण, ब्लैक बोड आदि विषयक।
3. संरक्षित निधि, छात्रवृत्ति, अन्य प्रमाण पत्र विषयक।
4. किसी कक्षा / वर्ग में अध्यापन नहीं होने विषयक एवं परीक्षा प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली विषयक।
5. महाविद्यालय में कार्यालय की कार्य प्रणाली विषयक ऐसे सुझाव भी इस पेटी में डाले जा सकते है जो महाविद्यालय की कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार लायें।

सूचना

यद्यपि विवरणिका के मुद्रण एवं प्रकाशन में पर्याप्त सावधानी का ध्यान रखा गया है तथापि मुद्रण त्रुटि के कारण किसी जानकारी अथवा आंकड़े के विषय में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तब प्राचार्य द्वारा किया गया स्पष्टीकरण व निर्देश ही मान्य होगा।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नवीन अधिनियम
छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001

क्रमांक 27 सन् 2001

(दिनांक 17 जनवरी, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधरण) में दिनांक 17 जनवरी, 2002 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।)

राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उसके संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** : (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 है। (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. **परिभाषाएँ** : इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –
(क) ''रैगिंग'' से अभिप्रेत है किसी छात्र का मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से अत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से अवरित करना आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूण्र परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

3. **रैगिंग का प्रतिषेध** : किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

4. **दण्ड** : यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

5. **अपरध या संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रश्नीय होना** : इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रश्नीय होगा।

6. **अपराधों का विचारण** : (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जाँच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे। छात्र के निष्कासन के लिए निर्योग्यता – (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त छात्र को निंलबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा। (2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो धारा 4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा। (3) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

रैगिंग क्या है?

रैगिंग के अंतर्गत –

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया – कलापों में संलग्न जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा छात्रों को कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता / सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथवा जीवन के लिए खतरा हो।

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम, 2002

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1893 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1, 1995), अनुच्छेद 1 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :–

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव–मर्यादा के लिए प्रतिकूल हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा–धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके चोट पहुँचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दण्ड भय दिखा कर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरूप :–

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नही) में पाई जाती है :–

स्पष्ट आदेश

सीनियर छात्रों का 'सर' कहने के लिए बाध्य करना

सामूहिक कवायद करने के लिए

सीनियरों के क्लास–नोट्स उतारने के लिए

अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए

सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए

अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए

नये छात्रों को अपने सीधेपन से विपरीत आधात पहुँचाते हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए

शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना

कामुक संकेतार्थ वाले कार्य समलैगिंक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना

ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा, या मृत्यु तक हो सकती है।

नंगा करना, चुबंन लेना आदि

अन्य अश्लीलताएँ करना।

उपर्युक्त ये यह विदित होता है कि प्रथम पाँच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दंड

1. प्रवेश निरस्त किया जाना
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।

3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।

4. परीक्षाओं से वंचित करना।

5. परीक्षा–परिणाम रोकना।

6. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।

7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।

8. आर्थिक दण्ड रू. 25000/– तक।

रैगिंग का नियम

संस्थाध्यक्ष द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

1. रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो व स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बंधित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अतंर्गत निम्नलिखित अपराध आते है।

2. रैगिंग हेतु उकसाना।

3. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र।

4. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पाद करना।

5. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।

6. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।

7. शरीर को चोट पहुँचाना।

8. गलत ढंग से रोकना।

9. आपराधिक बल प्रयोग।

10. प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध।

11. बलात् गहण।

12. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।

13. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध।

14. आपराधिक धमकी।

15. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।

16. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरूद्ध करने हेतु धमकाना।

17. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करनां।

18. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध।

रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है। संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय ने नोडल अधिकारी को दें।

यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रतिक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कार्रवाही पूरी कर ली जाए।

3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।

4. परीक्षाओं से वंचित करना।

5. परीक्षा–परिणाम रोकना।

6. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।

7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।

8. आर्थिक दण्ड रू. 25000/– तक।

रैगिंग का नियम

संस्थाध्यक्ष द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

1. रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो व स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बंधित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अतंर्गत निम्नलिखित अपराध आते है।

2. रैगिंग हेतु उकसाना।

3. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र।

4. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पाद करना।

5. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।

6. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।

7. शरीर को चोट पहुँचाना।

8. गलत ढंग से रोकना।

9. आपराधिक बल प्रयोग।

10. प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध।

11. बलात् गहण।

12. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।

13. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध।

14. आपराधिक धमकी।

15. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।

16. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरूद्ध करने हेतु धमकाना।

17. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना।

18. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध।

रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है। संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय ने नोडल अधिकारी को दें।

यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रतिक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कार्रवाही पूरी कर ली जाए।